



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-784/HP/4/2023-SSW (RU-IV)

दिनांक: ०६.०६.२०२६

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
५वीं मंज़िल, वेस्ट विंग,
योगक्षेम बिल्डिंग, जीवन बीमा मार्ग,
पी. ओ. बॉक्स-No - 19953,
मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र
ई-मेल: chairman@licindia.com

विषय: LIC मैनेजमेंट द्वारा रिटायर्ड ST कर्मचारी के उत्पीड़न के संबंध में श्री पुरुषोत्तम चंद नेहरिया (Sr. No. 155144, Sr. Branch Manager, रिटायर्ड, LIC), VPO-भागसू नाग, ज़िला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का दिनांक 27.01.2023 को प्राप्त अभ्यावेदन।


संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 17.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री पुरुषोत्तम चंद नेहरिया
(Sr. No. 155144, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, रिटायर्ड, LIC),
VPO-भागसू नाग, ज़िला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।